

लोकतंत्र में राज्यपाल की भूमिका की पुनर्कल्पना

यह एडिटरियल 13/01/2025 को द हद्वि में प्रकाशित [“Wilful violation: On the Tamil Nadu Governor's conduct”](#) पर आधारित है। इस लेख में तमिलनाडु के राज्यपाल की सर्वोच्च न्यायालय की जाँच पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें राज्य के वधियकों को मंजूरी न देने में राज्यपाल के अतिक्रमण पर चर्चा व्यक्त की गई है। यह संकट भारत के संघीय कार्यवाही में राज्यपाल की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

प्रलमिस के लिये:

[राज्यपाल](#), [सर्वोच्च न्यायालय](#), [राष्ट्रपति](#), [राष्ट्रपति शासन](#), [राज्य लोक सेवा आयोग](#), [महाधिवक्ता](#), [स्वायत्त ज़िले](#), [एस.आर. बोमई नरिणय](#), [अनुच्छेद 361](#), [सरकारिया आयोग](#), [पुंछी आयोग \(2010\)](#)

मेन्स के लिये:

भारत में राज्यपाल के प्रमुख संवैधानिक कार्य, भारत में राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित प्रमुख चर्चाएँ।

तमिलनाडु के [राज्यपाल](#) की हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) द्वारा की गई जाँच से राज्यपालों के कार्यालयों द्वारा संवैधानिक अतिक्रमण के बढ़ते पैटर्न पर प्रकाश पड़ता है। यह मामला [राज्यपाल द्वारा वधियकों को मंजूरी न देने](#) और उन्हें [राष्ट्रपति](#) के पास भेजने पर आधारित है, जबकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित किये जाने के बाद ही वधियक को मंजूरी दी जानी चाहिये। राज्य विधानमंडल में लंबे समय तक [वर्लिब और कथति अवरोध](#) ने [राज्यपाल की शक्तियों के दुरुपयोग](#) के बारे में चर्चाओं को बढ़ा दिया है। जबकि अटॉरनी-जनरल केंद्रीय कानूनों के साथ टकराव का हवाला देते हैं, मुख्य मुद्दा [राज्य शासन में राज्यपाल की भागीदारी](#) है। यह संकट [भारत के संघीय कार्यवाही में राज्यपालों की भूमिका और अधिकार का पुनर्मूल्यांकन](#) करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

भारत में राज्यपाल के प्रमुख संवैधानिक कार्य क्या हैं?

- **राज्य का कार्यकारी प्रमुख:** राज्यपाल राज्य के मुख्य कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है, जो नाममात्र प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है, जबकि विह केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है।
 - [अनुच्छेद 154](#) के अनुसार, राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियाँ राज्यपाल के नाम से की जाती हैं और [अनुच्छेद 166](#) के तहत, कार्य संचालन के नियम राज्यपाल द्वारा बनाए जाते हैं।
 - इसके अतिरिक्त, राज्यपाल [मुख्यमंत्री](#) और उनकी सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है।
- **वधिया भूमिका और वधियकों पर स्वीकृति:** राज्य विधानमंडल और संघ के बीच संवैधानिक कड़ी के रूप में, संविधान के [अनुच्छेद 174](#) के तहत राज्यपाल [राज्य के विधानमंडल का सत्र आमंत्रित, सत्रावसान और उसका वधितन](#) करता है।
 - किसी वधियक को [कानून बनने के लिये राज्यपाल की स्वीकृति](#) प्राप्त होनी चाहिये, जैसा कि संघ सत्र पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है अथवा इसे [अनुच्छेद 200](#) के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षणित रखा जा सकता है।
 - राज्य के वधितय शासन में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि [अनुच्छेद 207](#) के तहत उनकी सफारिश के बिना [विधानसभा में कोई भी धन वधियक पेश नहीं](#) किया जा सकता है।
 - वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि [राज्य का वधित संवैधानिक और राजकोषीय जम्मेदारियों के अनुरूप](#) हो।
- **त्रशिकु विधानसभाओं में वधिकाधीन शक्तियाँ और भूमिका:** राज्यपाल कुछ स्थितियों में वधिकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जैसे [अनुच्छेद 356](#) के तहत [राष्ट्रपति शासन](#) की सफारिश करना या त्रशिकु विधानसभा के मामले में किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करना।
 - वे उन मामलों पर भी नरिणय लेते हैं जहाँ संविधान उन्हें [मंत्रिपरिषद की सलाह से स्वतंत्र होकर वधिकाधिकार](#) प्रदान करता है।
- **नयुक्तियों और प्रशासन में भूमिका:** राज्यपाल [अनुच्छेद 165 और 316](#) के तहत [महाधिवक्ता](#) और [राज्य लोक सेवा आयोग](#) के सदस्यों सहित प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है।
 - वे [राज्य वधिवधियालयों के कलपतियों की नियुक्ति](#) करते हैं, जो हाल के वर्षों में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है।
 - यह कार्य राज्य के सुचारू प्रशासन को सुनिश्चित करता है, लेकिन इसे राज्य सरकार के परामर्श से किया जाना चाहिये।
- **राष्ट्रपति शासन लागू करने में भूमिका:** [अनुच्छेद 356](#) के तहत, यदि राज्यपाल का मानना है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वे राष्ट्रपति शासन की सफारिश कर सकते हैं।
 - यह [प्रावधान आपातकालीन उपाय के रूप में](#) है, लेकिन इसका प्रायः राजनीतिक लाभ के लिये दुरुपयोग किया जाता है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया है कि ऐसी सफिराशिन न्यायोचति होनी चाहिये, मनमानी नहीं।
- **न्यायकि शक्तियाँ:** भारतीय राज्य के राज्यपाल को संवधान के अनुच्छेद 161 के तहत कषमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसके तहत उन्हें राज्य के कानूनों के वरिद्ध अपराधों के लिये कषमा, वलिंब, राहत या सजा में छूट देने की अनुमति है।
 - हालाँकि, कषमादान के मामलों में राष्ट्रपति के अधिकार की तुलना में यह शक्ति सीमिति है, क्योंकि राज्यपाल मृत्युदंड या कोर्ट-मार्शल मामलों में कषमादान नहीं कर सकते हैं।
 - यह प्रावधान न्याय में मानवीय वचिरों को शामिल करते हुए जाँच और संतुलन की प्रणाली सुनशिचति करता है।
- **अनुसूचति कषेत्रों और जनजातीय कल्याण के लिये वशिष जमिमेदारियाँ:** असम, मेघालय, त्रपुरा और मज़ोरम राज्यों में राज्यपाल के पास अनुसूचति कषेत्रों पर वशिष शक्तियाँ हैं।
 - इन राज्यों को संवधान की छठी अनुसूची के तहत सुवायतत ज़िलों के रूप में प्रशासति कया जाता है।
 - वे स्वदेशी अधिकारों की रक्षा और कल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा देने के लिये जनजातीय प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

भारत में राज्यपाल के पद से संबंधति प्रमुख चतिाएँ क्या हैं?

- **वधियकों को स्वीकृत देने में वलिंब:** राज्यपालों ने राज्य वधिानसभाओं द्वारा पारति वधियकों को स्वीकृत देने में वलिंब की है, जिससे वधियाी प्रक्रया एवं संघीय सदिधातों को नुकसान पहुँच रहा है।
 - यदयपि अनुच्छेद 200 राज्यपालों को वधियकों को राष्ट्रपति के वचिरार्थ सुरक्षति रखने की अनुमति देता है, अत्यधकि वलिंब से वधियाी नषिक्रयिता उत्पन्न होती है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि अनुच्छेद 200 में उल्लिखति “जतिनी जल्दी हो सके” वाक्यांश का अक्षरशः पालन कया जाना चाहिये, फरि भी कई राज्यों में दो वर्षों से अधकि का वलिंब देखा गया है।
 - [[[[[पंजाब (वर्ष 2023) में राज्यपाल ने कई वधियकों पर दो वर्ष तक मंजूरी नहीं दी, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा।
 - इसी प्रकार, तमलिनाडु में राज्यपाल ने 12 वधियकों में वलिंब कया, जिसके कारण न्यायकि हस्तक्षेप करना पड़ा।
- **पक्षपातपूर्ण आचरण और केंद्रीय प्रभाव:** केंद्र द्वारा नयिकृत राज्यपाल, तटस्थ मध्यस्थ होने के बजाय, प्रायः संघ में सत्तारूढ पार्टी के साथ तालमेल बठिकर कार्य करते हैं।
 - इससे राजनीतिक पूर्वाग्रह और वपिकष के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों को अस्थिर करने के लिये वविकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग के बारे में चतिाएँ उत्पन्न होती हैं।
 - [[[[[अरुणाचल प्रदेश (वर्ष 2016) में राज्यपाल के कार्यों के कारण नरिवाचति सरकार को बरखास्त कर दिया गया था, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बहाल कर दिया था।
- **सरकार गठन में वविकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग:** राज्यपाल प्रायः त्रशिकु वधिानसभा की स्थति में राजनीतिक दलों को सरकार बनाने के लिये आमंत्रति करते समय मनमाने ढंग से वविकाधिकार का प्रयोग करते हैं।
 - स्पष्ट दिशा-नरिदेशों के अभाव के कारण असंगत नरिणय लिये जाते हैं, जो कभी-कभी वशिष दलों के पक्ष में जाते हैं, जिससे लोकतांत्रिकि जनादेश वकृत हो जाता है।
 - [[[[[कर्नाटक (वर्ष 2018) में राज्यपाल ने एक राजनीतिक दल को बहुमत साबति करने के लिये 15 दिन का समय दिया था, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने घटाकर 24 घंटे कर दिया था।
 - महाराष्ट्र (वर्ष 2019) में राज्यपाल कोशायरी द्वारा बहुमत साबति कयि बनिा मुख्यमंत्री उम्मीदवार को शपथ दलाने के नरिणय के कारण 80 घंटे की सरकार बनी।
- **वशिववदियालय नयिकृतियों पर संघर्ष:** राज्यपाल, राज्य वशिववदियालयों के कुलाधपति के रूप में, प्रायः नरिवाचति सरकारों को दरकनार करते हुए नयिकृतियों में हस्तक्षेप करते हैं।
 - इससे कुलपति के चयन को लेकर राज्य सरकारों एवं राज्यपालों के बीच गतरिोध उत्पन्न हो गया है और प्रायः न्यायालयों को हस्तक्षेप करना पड़ता है।
 - बढ़ते वविाद ने यह प्रश्न उठा दिया है कि क्या राज्यपालों को वशिववदियालयों के कुलपति के पद पर बने रहना चाहिये।
 - [[[[[पश्चिम बंगाल (वर्ष 2023) में राज्यपाल ने एकतरफा कुलपतियों की नयिकृति, जिससे राज्य सरकार के साथ कानूनी लड़ाई हुई।
- **जवाबदेही और पारदर्शति का अभाव:** मुख्यमंत्री के वपिरीत, जो वधियाकि के प्रतजिवाबदेह होता है, राज्यपाल केवल राष्ट्रपति के प्रतजिवाबदेह होता है और उसे केंद्र सरकार के वविक पर (अनुच्छेद 156) हटाया जा सकता है।
 - इससे ऐसी स्थति उत्पन्न होती है जहाँ राज्यपालों को अपने कार्यों के लयिकसी प्रत्यक्ष परिणाम का सामना कयि बनिा ही कार्य करना पड़ता है।
 - महाभयिग प्रावधानों का अभाव उन्हें जाँच से बचाता है, जिससे महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ होने के बावजूद वे जवाबदेह नहीं रह जाते।
- **प्रशासनकि मामलों में अतिक्रमण:** राज्यपालों ने नरिवाचति मुख्यमंत्री और मंत्रपरिषद को दरकनार करते हुए दिन-प्रतिदिन के शासन में हस्तक्षेप (अनुच्छेद 163) करना शुरू कर दिया है।
 - इस अतिक्रमण के कारण प्रायः शासन में नषिक्रयिता आ जाती है, जहाँ राज्यपाल फाइलों को मंजूरी देने से इनकार कर देते हैं, कैंबिनेट के नरिणयों में वलिंब करते हैं, या राज्य की नीतियों की सार्वजनिक रूप से आलोचना करते हैं।
 - [[[[[दिल्ली (वर्ष 2023) में प्रशासनकि नयिकृतियों को लेकर उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच लगातार टकराव के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार का सेवाओं पर नयितरण है, LG का नहीं।
- **राष्ट्रपति शासन का मनमाना प्रयोग:** राज्यपाल ऐतिहासिक रूप से अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) को लागू करने में सहायक रहे हैं, प्रायः संदिग्ध आधारों पर, जिसके परिणामस्वरूप नरिवाचति सरकारों को बरखास्त कर दिया जाता है।
 - यदयपि एस.आर. बोमई नरिणय (वर्ष 1994) ने इस तरह के दुरुपयोग को सीमिति कर दिया था, लेकिन हाल के उदाहरणों से पता चलता है कि राज्यपाल राजनीतिक रूप से प्रेरति बरखास्तगी में भूमिका निभा रहे हैं।

राज्यपाल की भूमिका महत्त्वपूर्ण है, लेकिन स्वीकृति में विलंब, राजनीतिक पूर्वाग्रह और अतिक्रमण के कारण यह लगातार बहिष्कार होती जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक सिद्धांतों और लोकतांत्रिक मानकों के पालन पर जोर दिया है। सम्यक् न्याय, सरकार गठन में विकाधिकार को सीमित करना और नयिकृतियों में तटस्थता सुनिश्चित करना जैसे सुधार महत्त्वपूर्ण हैं। न्यायिक समीक्षा और संसदीय नगरानी के माध्यम से जवाबदेही को सुदृढ़ करने से दुरुपयोग को रोका जा सकता है।

प्रश्न 1. निम्नलिखित में से कौन-सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई वविकाधीन शक्तियाँ हैं? (2014)

प्रश्न. “भारत में राज्यपाल का कार्यालय प्रायः संघवाद और संवैधानिक औचित्य पर बहस के केंद्र में रहा है।” राज्यपाल की भूमिका से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिये तथा नषिपक्षता एवं जवाबदेही सुनशिचति करने के लयि सुधार सुझाइये। (250 शब्द)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न 1. निम्नलिखित में से कौन-सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई वविकाधीन शक्तियाँ हैं? (2014)

प्रश्न 1. निम्नलिखित में से कौन-सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई वविकाधीन शक्तियाँ हैं? (2014)

1. भारत के राष्ट्रपतको, राष्ट्रपतशासन अधरिपति करने के लयि रपिर्ट भेजना
2. मंत्रयिों की नयुक्ति करना
3. राज्य वधिानमण्डल द्वारा पारति कतपिय वधियकों को, भारत के राष्ट्रपतके वचिर के लयि आरक्षति करना
4. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लयि नयिम बनाना

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

प्रश्न 1. क्या उच्चतम न्यायालय का नरिणय (जुलाई 2018) दलिली के उप-राज्यपाल और नरिवाचति सरकार के बीच राजनैतिक कशमकश को नपिटा सकता है? परीक्षण कीजयि। (2018)

प्रश्न 1. क्या उच्चतम न्यायालय का नरिणय (जुलाई 2018) दलिली के उप-राज्यपाल और नरिवाचति सरकार के बीच राजनैतिक कशमकश को नपिटा सकता है? परीक्षण कीजयि। (2018)

प्रश्न 2. राज्यपाल द्वारा वधियी शक्तयिों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का वविचन कीजयि। वधियकि के समक्ष रखे बनिा राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की वविचना कीजयि। (2022)